[2025] 10 एस.सी.आर. 548: 2025 आईएनएससी 1201

रजनी एवं अन्य

बनाम

भारत संघ और अन्य

(सिविल अपील क्र. 12538/2025)

08 अक्टूबर 2025

[न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया]

विचारणीय बिंदु

मृतक को चलती ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अपीलार्थीगण की दावा याचिका को अधिकरण ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि दावेदार यह साबित करने में विफल रहे कि मृतक एक बोनाफाइड यात्री था। हाई कोर्ट ने अधिकरण के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की।

शीर्ष टिप्पणियाँ †

रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 -धारा 16- रेल अधिनियम, 1989-धारा 124 - पीड़ित-मृतक ने इंदौर रेल जंक्शन पर दूसरी श्रेणी का टिकट खरीदा था - यह आरोप है कि भीड़भाड़ के कारण, उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसके सिर पर घातक चोटें आईं - पीड़ित की मृत्यु हो गई - अपीलार्थीगण, जो मृतक की विधवा और नाबालिग बेटा हैं, ने अधिकरण के समक्ष प्रतिकर की मांग की - अधिकरण ने यह कहते हुए दावा याचिका को खारिज कर दिया कि दावेदार यह साबित करने में विफल रहे कि मृतक एक बोनाफाइड यात्री था - उच्च न्यायालय ने अधिकरण के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की - शुद्धता:

अभिनिर्धारित : प्रथम, यह प्रारंभिक दायित्व जो दावेदारों पर यह साबित करने के लिए होता है कि मृतक ने ट्रेन में यात्रा की थी, वह प्रथम दावेदार (मृतक की पत्नी) द्वारा दिए गए शपथ-पत्र द्वारा पूरा कर दिया गया है; दूसरा, उच्च न्यायालय ने डीआरएम रिपोर्ट (आर/1) पर निर्भर होकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रथम याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु अधिनियम की धारा 124 (क) के अंतर्गत परिभाषित अभिव्यक्ति 'अनपेक्षित घटना' के परिपेक्ष्य के अंतर्गत आती है; तीसरा, रेल टिकट जो पुलिस रिपोर्ट का हिस्सा था, अखंडित रहा; चौथा, उसी रिपोर्ट से यह भी पता चला कि मुख्य्य बुकिंग पर्यवेक्षक, इंदौर ने पुलिस की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत टिकट का सत्यापन किया था और यह प्रमाणित किया था कि टिकट इंदौर स्टेशन से जारी किया गया था - यह स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 124 (क) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के अंतर्गत निहित 'यात्री' अभिव्यक्ति की परिभाषा की आवश्यकता को पूरा करता है और मृतक को ट्रेन में यात्रा करने वाला 'यात्री' घोषित

किया जाता है - इस न्यायालय के विचार में, रेल दावा अधिकरण और उच्च न्यायालय के निष्कर्ष बरकरार रहने योग्य नहीं होंगे। दावा याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और प्रतिवादीगण को अपीलार्थीगण-आवेदक को 8,00,000/- रुपये का प्रतिकर देने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 12, 16]

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124-क की कार्यवाही आपराधिक विचारण नहीं हैं - कल्याणकारी विधान अधिसम्भाव्यता और बाहुल्यता का सिद्धांत द्वारा शासित होते हैं - रेल प्रशासन पर साक्ष्य का भार स्थानांतरित करना:

अभिनिर्धारित : रेल अधिनियम की धारा 124-क के अंतर्गत कार्यवाही आपराधिक विचारण नहीं हैं, जिनमें संदेह से परे प्रमाण की मांग होती है, बल्कि कल्याणकारी विधान अधिसम्भाव्यता और बाहुल्यता का सिद्धांत द्वारा शासित होते हैं - एक बार जब विश्वसनीय साक्ष्यों के माध्यम से (i) वैध टिकट का होना या जारी किया जाना, और (ii) ट्रेन से दुर्घटनावश गिरने की घटना, जैसे आधारभूत तथ्य स्थापित हो जाते हैं, तो दावेदार के पक्ष में बोनाफाइड यात्रा की वैधानिक अवधारणा लागू होनी चाहिए - रेल, राज्य के परिकरण के रूप में, अन्वेषण में प्रक्रियात्मक खामियों या औपचारिक साक्षियों की गैर-परीक्षा की ओर इशारा करके ऐसे दावों को खारिज नहीं कर सकती है - इसके विपरीत निर्णय लेने से इस विधि का लाभकारी स्वरूप कमजोर होगा और एक सामाजिक न्याय के उपचार को कानूनी बाधाओं की दौड़ में बदल देगा - जहाँ एक आधिकारिक रेल जांच या साक्ष्य अभिलेख किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की तारीख और मार्ग से मेल खाने वाली टिकट के जारी होने की पुष्टि करता है, तो ऐसी पुष्टि बोनाफाइड यात्रा का प्रथम दृष्टया प्रमाण होगा, जो रेल प्रशासन पर साक्ष्य का भार स्थानांतरित कर देगा - जब परिस्थितियों की समग्रता दावेदार के कथन का समर्थन करती है, तब जब्ती पंचनामा का अभाव, या पुलिस का भौतिक साक्ष्य को संरक्षित करने में असमर्थता, अपने आप में एक वैध दावे को खारिज नहीं कर सकती - यह सिद्धांत धारा 124-क की व्याख्या में सभी भविष्य के अधिकरणों और उच्च न्यायालयों का मार्गदर्शन करेगा, ताकि प्रतिकर का वैधानिक अधिकार वास्तविक, सुलभ और अधिनियम के मानवीय उद्देश्य के अनुरूप बना रहे। [पैरा 14, 15]

उद्धृत न्यायदृष्टान्त

डोली रानी साहा बनाम भारत संघ **[2024] 8 एससीआर 391: (2024) 9 एससीसी 656- पर भरोसा किया गया।**

भारत संघ बनाम रीना देवी **[2018] 4 एससीआर 417: (2019) 3 एससीसी 572**; *कमुकायी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य* **[2023] 6 एससीआर 399: (2023) 19 एससीसी 116 - का उल्लेख किया गया।**

अधिनियमों की सूची

रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987; रेल अधिनियम, 1989

कीवर्ड की सूची

दावा याचिका; अनपेक्षित घटना; बोनाफाइड यात्री; अधिसम्भाव्यता और बाहुल्यता का सिद्धांत; रेल प्रशासन पर साक्ष्य का भार स्थानांतरित करना; वैध टिकट का होना या जारी होना; बोनाफाइड यात्रा; सामाजिक-न्याय उपचार।

किससे उद्भूत मामला

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील क्र. 12538/2025

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की मुख्य पीठ के दिनांक 15.05.2024 के निर्णय और आदेश से, एमए क्र. 13451/2023 में

पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण

अपीलार्थीगण की ओर से *अधिवक्तागण* :

एन.के. मोदी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री इशिता एम पुरानीक, सुश्री जिगिशा अग्रवाल, सुश्री अनिया, सुश्री साक्षी चौहान, प्रवीन स्वरूप।

प्रतिवादीगण की ओर से *अधिवक्तागण*:

विक्रमजीत बनर्जी, ए.एस.जी., सारंश कुमार, सौरभ पांडे, यशराज बुंदेलिया, सुश्री रुक्मिणी बोबडे, माधव सिन्हा, अमरीश कुमार।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार,

1. अनुमति प्रदान की गयी ।

2. यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की मुख्य पीठ द्वारा **15.05.2024** को पारित निर्णय और आदेश, विविध अपील क्र. 3451/2023 के विरुद्ध निर्देशित है। उक्त आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने दावेदारों के रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 16 के अंतर्गत अपीलार्थीगण द्वारा दायर दावे की याचिका को खारिज करने की पुष्टि की, जिसमें एक

कथित रेलवे दुर्घटना में दिवंगत संजेष कुमार याग्निक की मृत्यु के कारण प्रतिकर की मांग की गई थी।

3. अनावश्यक विवरणों को हटाकर संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं: **19.05.2017** को मृतक ने इंदौर रेलवे जंक्शन से ट्रेन क्र. 12465, रणथंभोर एक्सप्रेस से उज्जैन की यात्रा के लिए द्वितीय श्रेणी का टिकट खरीदा था। यह अधिरोपित है कि भीड़भाड़ के कारण, उसे चलती ट्रेन से पोल क्र. 15/21 के पास, पुलिस थाना नरवर, जिला उज्जैन के क्षेत्राधिकार में धक्का दे दिया गया, जिससे उसके सिर पर घातक चोटें आईं। धारा 174 द.प्र.सं. के अंतर्गत मर्ग दर्ज की गई और इसे आकस्मिक गिरने का मामला बताकर बंद कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह राय व्यक्त की गई कि मृत्यु सिर की चोट के परिणामस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव और सदमे के कारण हुई।

4. अपीलार्थीगण, मृतक की विधवा और नाबालिग पुत्र, ने 12,00,000 के प्रतिकर की मांग करते हुए रेल दावा अधिकरण, भोपाल के समक्ष दावा प्रकरण क्र. OA-IIU/BPL/96/2019 दायर किया। अधिकरण ने **16.01.2023** के निर्णय द्वारा, इस आधार पर दावा याचिका को खारिज कर दिया कि दावेदार यह साबित करने में विफल रहे कि मृतक एक बोनाफाइड यात्री था। उसके पास से या उसके सामान से कोई टिकट बरामद नहीं हुई, और टिकटों की प्रति (परिशिष्ट A/7) को संदिग्ध माना गया क्योंकि कोई जब्ती पंचनामा नहीं था और अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं हुआ था। अधिकरण ने घटनास्थल के संबंध में अभिलेख में असंगतताओं पर भी ध्यान दिया।

5. अपीलार्थीगण ने उच्च न्यायालय के समक्ष विविध अपील क्र. 3451/2023 दायर की। इस बात को स्वीकार करते हुए कि यह घटना रेल अधिनियम की धारा 123(ग)(2) के अंतर्गत एक "अनपेक्षित घटना" थी, फिर भी उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष से सहमत हुआ कि मृतक एक बोनाफाइड यात्री साबित नहीं हुआ था। तदनुसार **15.05.2024** को अपील खारिज कर दी गई।

6. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने घटना को 'अनपेक्षित घटना' मानते हुए भी प्रतिकार देने से इनकार करके गलती की है। यह तर्क देने के लिए '**भारत संघ बनाम रीना देवी**'[1] और '**कमुकई बनाम भारत संघ**'[2] पर भरोसा किया गया कि केवल टिकट का न मिलना घातक नहीं है, और एक बार जब प्रथम दृष्टया प्रमाण प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो उक्त तथ्य को खंडन करने का भार रेल पर आ जाता है। यह तर्क दिया गया कि मृतक ने वास्तव में घटना की तारीख को 05:36 बजे टिकट क्र. L10274210 खरीदी

----

1. (2019) 3 एससीसी 572
2. 2023 एससीसी Online SC 642

थी, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, अन्वेषण अधिकारी द्वारा जप्ती पंचनामा तैयार न करने की विफलता से आश्रितों को हानि नहीं होनी चाहिए; और इंदौर-उज्जैन जैसे व्यस्त कॉरिडोर पर, रेल सीसीटीवी, गार्ड लॉग, या अलार्म-चेन रिकॉर्ड जैसे "सर्वोत्तम साक्ष्य" प्रस्तुत कर सकता था। अतः, उन्होंने अपील को मंजूर करने की प्रार्थना की है।

7. इसके विपरीत, प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री रुक्मिणी बोबडे ने समवर्ती निष्कर्षों का समर्थन किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यह स्थापित करने के लिए कोई ठोस प्राथमिक साक्ष्य मौजूद नहीं है कि मृतक के पास उस दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा के लिए एक वैध टिकट था। प्रस्तुत प्रति (परिशिष्ट A/7) न तो घटनास्थल से बरामद हुई और न ही ज़ब्ती पंचनामा या साक्षी के अभिसाक्ष्य के माध्यम से यह साबित हुआ कि मृतक ने टिकट खरीदा था; संबंधित अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया; और उस सेक्टर में चलती ट्रेन से गिरने की किसी अलार्म या रिपोर्ट का कोई समकालीन रिकॉर्ड नहीं है। अनपेक्षित यात्रा के प्रथम दृष्टया प्रमाण के अभाव में, धारा 124-क के अंतर्गत प्रतिकर नहीं दिया जा सकता। अतः, उन्होंने याचिका खारिज करने की प्रार्थना की है।

8. हमने दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और इस पर अपना गंभीर विचार किया है। प्रारंभ में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जहाँ तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए गए हों, वहाँ अनुच्छेद 136 के अंतर्गत हस्तक्षेप उचित नहीं होगा।। वर्तमान मामले में, अधिकरण द्वारा साक्ष्यों के अंकन और उच्च न्यायालय द्वारा उसकी पुनः अंकन के पश्चात यह माना गया है कि दावेदार यह साबित करने में विफल रहे हैं कि मृतक की मृत्यु ट्रेन से गिरने के कारण लगी चोटों के कारण हुई थी। जब तक ऐसे निष्कर्षों को विकृत या भरोसा किए गए ऐसे भौतिक साक्ष्यों की अनदेखी करने वाले के रूप में नहीं दिखाया जाता, यह न्यायालय सामान्यतः संयम बरतता है।

9. विधिक स्थिति पर विवाद नहीं है: रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124-क "अनपेक्षित घटनाओं" के लिए एक दोष-मुक्त व्यवस्था को समाहित करती है, लेकिन प्रतिकर पीड़ित के "यात्री" होने पर ही निर्भर करता है। वर्तमान प्रयोजनों के लिए, रेल प्राधिकरणों द्वारा इसे अस्वीकार किए जाने की पृष्ठभूमि में, धारा 124-क का स्पष्टीकरण (ii) प्रासंगिक होगा। यह इस प्रकार है:

> " **स्पष्टीकरण (ii)** - 'यात्री ' के अंतर्गत **ऐसा व्यक्ति आता है, जिसने यात्रियों का वहन करने वाली किसी रेलगाड़ी द्वारा, किसी तारीख को, यात्रा करने के लिए कोई विधिमान्य टिकट या कोई विधिमान्य प्लेटफार्म टिकट क्रय किया है** और वह व्यक्ति किसी **अनपेक्षित घटना** का शिकार हो जाता है ।"

(जोर दिया गया है)

भारत संघ बनाम रीना देवी (पूर्वोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने यह अभिपुष्ट किया कि धारा 124/124-क के अंतर्गत प्रतिकर "*चाहे कोई सदोष कृत्य, उपेक्षा या दोष हुआ हो या नहीं*" देय है और दो पहलुओं को स्पष्ट किया, अर्थात्: (i) यह व्यवस्था कठोर (दोष-रहित) दायित्व की है, जिसमें अपवाद केवल धारा 124-क के परन्तुक तक ही सीमित हैं; और (ii) पीड़ित के पास से टिकट का केवल न मिलना अपने आप में घातक नहीं है, जब दावेदार एक विश्वसनीय प्रथम दृष्टया आधार प्रस्तुत करता है, जिसके आधार पर दायित्व रेलवे पर स्थानांतरित हो सकता है। अतः, मुख्य जाँच यह है कि क्या अपीलार्थीगण ने यह तथ्य साबित करने का प्रारंभिक दायित्व पूरा किया था कि मृतक ट्रेन संख्या 12465 (इंदौर से उज्जैन) का एक बोनाफाइड यात्री था, ताकि रेल प्राधिकारियों पर दायित्व का स्थानांतरण हो सके।

10. अपीलार्थीगण का मामला पूर्ण रूप से रेल दावा अधिकरण के समक्ष 10.02.2020 को दायर शपथ पत्र, अर्थात् मृतक की पत्नी के शपथ पत्र, पर आधारित है। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उसके पति स्वर्गीय श्री संजेष कुमार दुर्घटना तारीख यानी 19.05.2017 को द्वितीय श्रेणी के टिकट के साथ यात्री ट्रेन संख्या 12485 रंथंभोर एक्सप्रेस से इंदौर से उज्जैन की यात्रा कर रहे थे। उसने आगे कथन किया कि पुलिस नरवर, जिला उज्जैन द्वारा टिकट को जब्त कर लिया गया है। उसने यह भी कथन किया है कि पिछले दिन रात यानी 18.05.2017 को मृतक ने उसे बताया था कि वह कुछ काम से बाहर जा रहा है और उसने अपना आधार कार्ड और पहचान पत्र मांगा और उसके बाद वह अपने सामान के साथ घर से चला गया। अधिकरण के समक्ष तथा उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण ने यह तर्क देने के लिए विभागीय रेलवे प्रबंधक (डीआरएम) के दिनांक 23.02.2019 के नोट (आर/1) पर भरोसा किया था कि पुलिस स्टेशन नरवर ने रेलवे प्राधिकारियों को दस्तावेज भेजते वक़्त 19.05.2017 (इंदौर से उज्जैन) दिनांकित L1027420 EX क्रमांक वाली एक रेलवे टिकट भी भेजी थी। उक्त रेलवे टिकट की प्रतिलिपि परिशिष्ट P-1 में है, जिसे रेल दावा अधिकरण के समक्ष प्रदर्श पी-6 के रूप में अंकित किया गया था। इस प्रकार, दावेदारों पर जो प्रारंभिक भार था, वह उन्मोचित हो गया। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों की पुनः विवेचना करते हुए पाया कि 26.02.2019 की डीआरएम रिपोर्ट (आर/1) से पता चलता है कि दुर्घटना के समय, मृतक ट्रेन में यात्रा कर रहा था और ट्रेन से गिरने के कारण उसे चोटें आईं और बाद में उसी से उसकी मृत्यु हो गई। उक्त दर्ज निष्कर्ष के आलोक में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह स्थापित करता है कि मृत्यु, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124 (क) के अंतर्गत परिभाषित 'अनपेक्षित घटना' के दायरे में आती है। हालांकि, इस विवाद्यक की जांच करते समय कि क्या दावेदारों ने यह साबित कर दिया है कि मृतक एक बोनाफाइड यात्री था, इस आधार पर इसका उत्तर नकारात्मक में दिया गया कि रेल टिकट मृतक के शव के साथ या शव के पास पाए गए सामान के साथ नहीं मिला था। हालांकि, उपरोक्त डीआरएम रिपोर्ट दिनांक 23.02.2019 (आर/1) में निम्नलिखित निष्कर्ष अभिलिखित किया गया है: -

"टिकट सत्यापन: - 19.05.2017 की घटना के संबंध में पुलिस स्टेशन नरवर से प्राप्त दस्तावेजों में, इंदौर से उज्जैन तक की ट्रेन यात्रा टिकट संख्या L10274210 को मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक, इंदौर द्वारा 19.05.2017 को सत्यापित किया गया है और यह बताया गया है कि उक्त टिकट इंदौर स्टेशन से जारी किया गया था। (दस्तावेज संलग्न है)।"

11. इस न्यायालय ने **डोली रानी साहा बनाम भारत संघ**[3] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि एक बार दावेदार-अपीलार्थी द्वारा तथ्यों को बयान करते हुए और रेलवे प्राधिकरणों द्वारा किये गे अन्वेषण से उत्पन्न रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र दायर करने के पश्चात, साबित करने का भार रेल पर चला जाएगा। यह भी अभिनिर्धारित किया है: -

"15. वर्तमान अपील तक ले जाने वाले विभिन्न न्यायिक निर्णयों के पुनरावलोकन से, यह देखा जा सकता है कि प्रारंभिक विवाद्यक यह है कि क्या मृतक प्रश्नगत ट्रेन में यात्रा कर रहा था। *रीना देवी [यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रीना देवी,* (2019) 3 एससीसी 572: (2019) 2 एससीसी (Civ) 198], इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों वाली पीठ ने उन मामलों में, जहाँ मृतक का शव रेलवे परिसर में पाया जाता है, यह प्रश्न विचाराधीन रखा कि साबित करने का भार किस पक्ष पर रहेगा। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रारंभिक भार दावेदार पर होगा, जिसे सुसंगत तथ्यों का शपथ-पत्र दाखिल करके पूरा किया जा सकता है। एक बार दावेदार ऐसा कर लेता है, तो भार फिर रेलवे पर स्थानांतरित हो जाएगा। महत्वपूर्ण रूप से, यह भी माना कि टिकट का अभाव मात्र इस दावे को खारिज नहीं करेगा कि मृतक एक बोनाफाइड यात्री था। न्यायालय के निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है: (एससीसी पृ. 588, पैरा 29)

"29. इस प्रकार हमारा मानना है कि रेल परिसर में केवल शव की उपस्थिति यह अभिनिर्धारित करने के लिए निश्चायक नहीं होगी कि घायल या मृतक एक बोनाफाइड यात्री था जिसके लिए प्रतिकर का दावा किया जा सकता है। हालांकि, ऐसे घायल या मृतक के साथ टिकट की अनुपस्थिति इस दावे को नकार नहीं देगी कि वह एक बोनाफाइड यात्री था। प्रारंभिक भार दावेदार पर होगा जिसे सुसंगत तथ्यों का शपथ पत्र दाखिल करके उन्मोचित किया जा सकता है और भार तब रेल पर स्थानांतरित हो जाएगा और इस विवाद्यक का निर्णय दिखाए गए तथ्यों या उपस्थित परिस्थितियों पर किया जा सकता है। इसे प्रत्येक मामले में पाए गए तथ्यों के आधार पर निपटाया जाएगा। इस संबंध में विधिक स्थिति तदनुसार स्पष्ट की जाएगी।"

(जोर दिया गया)

----

3. (2024) 9 एससीसी 656

16. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने तथ्यों का उल्लेख करते हुए और प्रत्यर्थी द्वारा किये गे अन्वेषण से उत्पन्न रिपोर्ट को जोड़ते हुए सम्यक रूप से शपथ पत्र दायर किया था, जिसमें दिखाया गया था कि मृतक ट्रेन में यात्रा कर रहा था और उसकी मृत्यु यात्रा के दौरान गिरने के कारण हुई थी। साबित करने का भार तब रेलवे पर स्थानांतरित हो गया, जिसने अपने भार का उन्मोचन नहीं किया है। इसलिए, इस उपधारणा का खंडन नहीं किया गया कि मृतक ट्रेन में एक बोनाफाइड यात्री था।

17. इसके अतिरिक्त, अन्वेषण अधिकारी की रिपोर्ट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उल्लिखित विवरणों का संकेत देती है। इसमें कहा गया है कि मृत्यु का कारण सिर पर लगी चोट थी और सभी चोटें पूर्व-शव परीक्षण थीं और "कुंद बल प्रभाव" के कारण थीं। इसमें यह भी कहा गया है कि मृत्यु के समय से अड़तालीस से वहत्तर घंटे बीत चुके थे।

12. यद्यपि रेलवे की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री रुक्मिणी बोबडे ने यह जोरदार तर्क दिया है कि रेल टिकटों की संदिग्ध परिस्थितियों के संबंध में अधिकरण द्वारा अभिलिखित किया गया निष्कर्ष दावे को त्यक्त करने के लिए पर्याप्त है, हम एक से अधिक कारणों से उक्त प्रस्तुति से प्रभावित नहीं हैं। पहला , प्रारंभिक भार जो दावेदारों पर यह साबित करने के लिए डाला जाता है कि मृतक ने ट्रेन में यात्रा की थी, उसे पहले दावेदार (मृतक की पत्नी) द्वारा दिए गए शपथ बयान से उन्मोचित कर दिया गया है दूसरा, उच्च न्यायालय, डीआरएम रिपोर्ट (आर/1) की रिपोर्ट पर निर्भर होकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रथम दावेदार के पति की मृत्यु अधिनियम की धारा 124 (क) के अंतर्गत परिभाषित 'अनपेक्षित घटना' अभिव्यक्ति के परिपेक्ष्य के अंतर्गत आती है; तीसरा, रेलवे टिकट जो पुलिस रिपोर्ट का हिस्सा था, अखंडित रहा; चौथा, उसी रिपोर्ट में यह भी पता चला कि मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक, इंदौर ने पुलिस की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत टिकट का सत्यापन किया था और प्रमाणित किया था कि टिकट इंदौर स्टेशन से जारी किया गया था। यह स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 124 (क) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के अंतर्गत निहित 'यात्री' अभिव्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करेगा और मृतक को ट्रेन में यात्रा करने वाले 'यात्री' के रूप में घोषित किया जाता है। यह दृष्टिकोण **कमुकायी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य**[4] के मामले में समन्वय पीठ के निर्णय से भी पुष्ट होता है, जिसके अंतर्गत यह अभिनिर्धारित किया गया हैः -

> "9. .... "यात्री" अभिव्यक्ति के बारे में स्पष्ट करने वाले उक्त खंड के स्पष्टीकरण से, इसके अंतर्गत वह व्यक्ति शामिल होगा जिसने यात्रियों का वहन करने वाली किसी रेलगाड़ी द्वारा, किसी तारीख को, यात्रा करने के लिए कोई विधिमान्य

(2023) 19 एससीसी 116

टिकट या कोई विधिमान्य प्लेटफार्म टिकट क्रय किया है और वह व्यक्ति किसी अनपेक्षित घटना का शिकार हो जाता है।

10. इस न्यायालय ने *रिना देवी* [*भारत संघ बनाम रिना देवी,* (2019) 3 एससीसी 572: (2019) 2 एससीसी (सिविल) 198] में रेलवे परिसर में यात्री का शव मिलने पर ससाबित करने के भार को समझाया है। उक्त मुद्दे का विश्लेषण करते हुए, इस न्यायालय ने *राज कुमारी बनाम भारत संघ* [*राज कुमारी बनाम भारत संघ,* 1992 एस.सी.सी. ऑन लाइन एम. पी. 96] में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और *गुरचरण सिंह बनाम भारत संघ* [*गुरचरण सिंह बनाम भारत संघ,* 2014 एस. सी. सी. ऑन लाइन डेल 101] में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों, *जेट्टी नागा लक्ष्मी पार्वती बनाम भारत संघ* [*जेट्टी नागा लक्ष्मी पार्वती बनाम भारत संघ,* 2011 एस. सी. सी. ऑन लाइन ए. पी. 828] में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णयों पर विचार किया है और *कामरुन्निसा बनाम भारत संघ* [*कामरुन्निसा बनाम भारत संघ,* (2019) 12 एस. सी. सी. 391: (2018) 5 एस.सी.सी. (सिविल 613) में इस न्यायालय के निर्णय पर भी विचार किया है और और पैरा 29 में निष्कर्ष किया : (*रिना देवी मामला* [*भारत संघ बनाम रिना देवी,* (2019) 3 एससीसी 572: (2019) 2 एससीसी (सिविल) 198], एससीसी पृ. 588)

> *"29. इस प्रकार हमारा मानना है कि रेल परिसर में केवल शव की उपस्थिति यह अभिनिर्धारित करने के लिए निश्चायक नहीं होगी कि घायल या मृतक एक बोनाफाइड यात्री था जिसके लिए प्रतिकर का दावा किया जा सकता है। हालांकि, ऐसे घायल या मृतक के साथ टिकट की अनुपस्थिति इस दावे को नकार नहीं देगी कि वह एक बोनाफाइड यात्री था। प्रारंभिक भार दावेदार पर होगा जिसे सुसंगत तथ्यों का शपथ पत्र दाखिल करके उन्मोचित किया जा सकता है और भार तब रेल पर स्थानांतरित हो जाएगा और इस विवाद्यक का निर्णय दिखाए गए तथ्यों या उपस्थित परिस्थितियों पर किया जा सकता है। इसे प्रत्येक मामले में पाए गए तथ्यों के आधार पर निपटाया जाएगा। इस संबंध में विधिक स्थिति तदनुसार स्पष्ट की जाएगी।"*

(जोर दिया गया)

13. उपरोक्त के आलोक में, हमारा यह सुविचारित मत है कि उच्च न्यायालय ने रेल दावा अधिकरण के निष्कर्ष की पुष्टि करने में त्रुटि की थी, जिसके अंतर्गत दावेदार की याचिका को टिकट की जब्ती पंचनामा प्रस्तुत न करने और अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण न करने के लिए खारिज कर दिया गया था, जो रेल की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क का मुख्य जोर है और था। यह तर्क सुसंगत न्यायिक रेखा की अनदेखी करता है कि औपचारिक जब्ती या साक्षी परीक्षण

की अनुपस्थिति, स्वयं में, बोनाफाइड यात्रा को नकारती नहीं है जब अन्य तात्विक साक्ष्य दावे की पुष्टि करते हैं। केवल तकनीकी अनियमितताएँ या प्रक्रिया में हुई चूकें, रेल अधिनियम 1989 जैसे कल्याणकारी विधि के अंतर्गत किए गए एक वैध दावे को विफल नहीं कर सकतीं। विशिष्टतः, अध्याय XIII जो दुर्घटना के कारण यात्रियों की मृत्यु और क्षति के लिए रेलवे प्रशासन के दायित्व से संबंधित है। एक अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण, जो रेलवे दुर्घटनाओं के पीड़ितों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य को विफल कर दे, से बचना चाहिए। औपचारिक ज़ब्ती पंचनामा पर ज़ोर देना, उस प्रमाण-मानक को लागू करने के समान होगा जो सामान्यतः आपराधिक विचारण में अपेक्षित होता है।

14. अतः, हम पुनः पुष्टि करते हैं कि रेल अधिनियम की धारा 124-क के अंतर्गत कार्यवाही युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने की मांग करने वाला आपराधिक विचारण नहीं हैं, बल्कि कल्याणकारी विधान अधिसम्भाव्यता और बाहुल्यता के सिद्धांत द्वारा शासित होते हैं। एक बार जब (i) वैध टिकट होने या जारी करने, और (ii) ट्रेन से दुर्घटनावश गिरने की घटना के मूलभूत तथ्य विश्वसनीय सामग्री के माध्यम से स्थापित हो जाते हैं, तो बोनाफाइड यात्रा की वैधानिक उपधारणा दावेदार के पक्ष में संचालित होनी चाहिए। रेलवे, राज्य के एक परिकरण के रूप में, अन्वेषण में प्रक्रियात्मक खामियों या औपचारिक साक्षियों का परीक्षण न करने की ओर इशारा करके ऐसे दावों को विफल नहीं कर सकता है। इसके विपरीत निर्णय लेने से इस विधि का लाभकारी स्वरूप कमजोर होगा और एक सामाजिक न्याय के उपचार को कानूनी बाधाओं की दौड़ में बदल देगा

15. इसलिए यह घोषित किया जाता है कि जहाँ एक आधिकारिक रेल जांच या साक्ष्य अभिलेख किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की तारीख और मार्ग से मेल खाने वाली टिकट के जारी होने की पुष्टि करता है, तो ऐसी पुष्टि बोनाफाइड यात्रा का प्रथम दृष्टया प्रमाण होगा, जो रेल प्रशासन पर साक्ष्य का भार स्थानांतरित कर देगा। जब परिस्थितियों की समग्रता दावेदार के कथन का समर्थन करती है, तब जब्ती पंचनामा का अभाव, या पुलिस का भौतिक साक्ष्य को संरक्षित करने में असमर्थता, अपने आप में एक वैध दावे को खारिज नहीं कर सकती। यह सिद्धांत धारा 124-क की व्याख्या में सभी भविष्य के अधिकरणों और उच्च न्यायालयों का मार्गदर्शन करेगा, ताकि प्रतिकर का वैधानिक अधिकार वास्तविक, सुलभ और अधिनियम के मानवीय उद्देश्य के अनुरूप बना रहे।

16. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, हमारा विचार है कि रेल दावा अधिकरण और उच्च न्यायालय के निष्कर्ष कायम रखने योग्य नहीं होंगे और हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। अतः, रेल दावा अधिकरण, भोपाल पीठ द्वारा प्रकरण क्र. OA-IIU/BPL/96/2019 में 16.01.2023 को पारित निर्णय

तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्र. 3451/2023 में 15.05.2024 को पारित आदेश को अपास्त किया जाता है और दावा याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और प्रत्यर्थीगण को इस आदेश की तिथि से 8 (आठ) सप्ताह के अंदर अपीलार्थीगण-आवेदक को Rs.8,00,000/- (आठ लाख रुपये) का प्रतिकर संदाय करने का निर्देश दिया गया है, जिसके विफल रहने पर इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त राशि पर इस न्यायालय के आदेश की तिथि से संदाय तक 6% वार्षिक ब्याज देय होगा। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

मामले का परिणामः दावा याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।

† शीर्ष टिप्पणियाँ तैयार की गयीं: द्वारा अंकित ज्ञान

(यश सिंह द्वारा अनुवादित)